

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 38/2025

1. रामकुमार पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी कुहाडू तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील गण्डावा जिला झुंझुनूं
(राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू- राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय

निर्णय दिनांक :- 24.07.2025

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कुहाडू पटवार हल्का कुहाडू की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 136 पुराना 118 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं० 12 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.0500 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.0600 हैक्टर स्थित है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम रामकुमार पुत्र कुरड़ाराम दर्ज है जो आवेदक के पिता का नाम गलत दर्ज है जिसकी शुद्धि हेतु उक्त प्रार्थना - पत्र सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है। आवेदक जब ग्राम कुहाडू पटवार हल्का कुहाडू के उपरोक्त भूमि की खाता संख्या की भूमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी ने राजस्व रिकॉर्ड देखकर बताया कि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में पिता का नाम गलत दर्ज है। यह कि आवेदक के आधार कार्ड पहचान पत्र पेन कार्ड, तथा परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता की पास बुक सभी में आवेदक का नाम रामकुमार पुत्र भूराराम दर्ज है। जबकि ग्राम कुहाडू पटवार हल्का कुहाडू की सरहद में भूमि खाता के अन्तर्गत भूमि खसरा संख्या नया 136 पुराना 118 नं० 12 रकबा 1.0100 हैक्टर खसरा नम्बर 13 रकबा 0.0500 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.0600 हैक्टर स्थित है आवेदक का नाम रामकुमार पुत्र कुरड़ाराम दर्ज है उक्त खाता संख्या के राजस्व रिकॉर्ड में रामकुमार पुत्र भूराराम दर्ज होना चाहिए। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक के पिता का नाम सही नहीं दर्ज होने के कारण आवेदक को काफी परेशानी हो रही है। आवेदक कोई भी सरकारी लाभ नहीं ले पा रहा है। जिसके कारण आवेदक उक्त राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि कराने के लिए उक्त प्रार्थना - पत्र श्रीमानजी की सेवामें पेश कर रहा है। आवेदक के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम संहवन के कारण गलत दर्ज हुआ है जो गलती संहवन के कारण जिसको दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। जिसे आवेदक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो तथा आवेदक अपने सही नाम का सरकारी सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें। ग्राम कुहाडू पटवार हल्का कुहाडू में प्रार्थी / आवेदक की भूमि स्थित है इसलिए प्रार्थना-पत्र सुनने का श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि ग्राम कुहाडू पटवार हल्का कुहाडू की सरहद में भूमि खाता संख्या नया के अन्तर्गत भूमि खसरा नं० 12 रकबा 1.0100 हैक्टर खसरा नम्बर 13 रकबा 0.0500 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.0600 हैक्टर, स्थित है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम

गण्डावा उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

रामकुमार पुत्र कुरडाराम दर्ज है के स्थान पर रामकुमार पुत्र भूराराम राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा द्वारा रिपोर्ट पेश की ग्राम कुहाडू के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता न: 136 में प्रार्थी का नाम रामकुमार प कुरडाराम दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र भूराराम है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम कुहाडू के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता न: 136 में प्रार्थी का नाम रामकुमार प कुरडाराम दर्ज है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम रामकुमार पुत्र भूराराम है। अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

निर्णय

अतः ग्राम कुहाडू के खाता संख्या 136 में दर्ज प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र कुरडाराम के स्थान पर रामकुमार पुत्र भूराराम कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ तहरीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
(मुनिश कुमारी)